1	2	3
Karnataka	11.81	5.44
Kerala	8.14	4.64
Madhya Pradesh	11.93	5.52
Maharashtra	37.95	13.69
Manipur	0.48	0.08
Meghalaya	0.31	0.09
Mizoram	0.32	0.11
Nagaland	0.28	0 15
Orissa	3.20	1.43
Punjab	8.76	4.82
Rajasthan	8.15	7.15
Sikkim	0.11	0.09
Tamilnadu	18.17	11.90
Tripura	0. 5	0.27
Uttar Pradesh	26 08	13.32
West Bengal	11.77	8.68
Union Territories		
Andaman & Nicobar	0.09	0.08
Chandigarh	1.53	0.69
Dadra & Nagar Haveli	0.05	0.02
Delhi	15.32	6.61
Daman & Diu	0.09	0.07
Lakshadweep	0.01	0.00
Pondicherruy	0.36	0.31

निजी क्षेत्र को रसोई गैस का आयात करने की अनुमति

5546. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरौला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की रसोई गैस कम्पनियों को रसोई गैस का आयात करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में रसोई गैस का आयात किया जायेगा ;

(ग) क्या निजी कम्पनियों ने रसोई गैस के भंडारण की व्यवस्था कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ङ) सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(च) रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची का वितरक-वार ब्यौरा क्या है ; और

(छ) पंजीकृत उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनैक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (छ) निजी पत्रकारों/समानांतर विपणनकर्ताओं को एल.पी.जी. के आयात एवं विपणन के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है । तथापि उन्हें सुरक्षा पर्यावरण इत्यादि के संबंध में शासी प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के अधीन यथा लागू अन्य प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । फिलहाल अधिकांश निजी पक्षकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की आयात/भंडार सुविधाओं का उपयोग करते हुए एल.पी.जी. का आयात कर रहे हैं । उनसे कुछ मुख्य नियंत्रक विस्फोटक जो एल.पी.जी. के भंडार तथा परिवहन के सुरक्षा पहलुओं की जांच करने के प्राधिकारी हैं, से आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् विविध स्थानों पर अपनी स्वयं की आयात भंडारण, वितरण एवं भरण सुविधाओं भी विकसित कर रहे है । 1994-95 के दौरान समानान्तर विपणन कर्ताओं द्वारा 41.8 टी.एम.टी. थोक एल.पी.जी. तथा 0.19 टी.एम.टी. पैक्ड एल.पी.जी. की आयात की गई थी । चूंकि इस प्रकार की एल.पी.जी. का वितरण बाजार निश्चित मूल्यों पर स्वत: समानातर विपणन कर्ताओं द्वारा किया जाता है अत: उनके वितरकों के पास उपलब्ध प्रतीक्षा सूची का रख रखाव सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। तथापि, 01 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार देश के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास एल.पी.जी. कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में 113.72 लाख लोग थे । उत्पाद उपलब्धता होने पर यथा संभव शीघ्र अधिक से अधिक आवेदकों को एल.पी.जी. कनेक्शन देने के संबंध में प्रयास लगातार जारी हैं ।

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि

5547. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन में वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 में बढोत्तरी हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि होने से उत्पादों पर दी जाने वाली राज सहायता में कमी की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) किस-किस पेट्रोलियम उत्पाद पर वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 में कितने कितने प्रतिशत कम या अधिक राज सहायता दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन निम्नवत था :--

	1993-94	1994-95
कच्चा तेल	27.02 एमटी	32.24 एम टी
पेट्रोलियम उत्पाद	52.084 एम एम टी	52.835 एम एम टी

(ख) 1994-95 के दौरान एल.पी.जी., मोगास, नेफथा, ए.टी.एफ. एच.एस.डी आदि जैसे मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हुई.